पत्रांक–21/बि.यु.आ.-03/2025, सा.प्र. 14320 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो. सोहैल, भा.प्र.से.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनाक– 04.8.25

विषयः– **बिहार युवा आयोग में सचिव (बि.प्र.से. के अपर सचिव से अन्यून–पे लेवेल–13A) के 01 पद, प्रशाखा पदाधिकारी (बि.स.से.–पे लेवेल–9) के 01 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बि.स.से.–पे लेवेल–7) के 02 पदों एवं आशुलिपिक (पे लेवेल–4) के 02 पदों अर्थात कुल 06 पदों के सृजन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. बिहार युवा आयोग, पटना का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12457 दिनांक 08.07.2025 द्वारा किया गया है।

उक्त संकल्प की कंडिका–4(vii) के अनुसार राज्य सरकार आयोग को ऐसे अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो इस संकल्प के अधीन आयोग के कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक होंगे।

3. तदनुसार मंत्रिपरिषद् की दिनांक 29.07.2025 को आयोजित बैठक में मद संख्या–41 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में बिहार युवा आयोग, पटना में पदाधिकारी/कर्मियों के 06 पदों को निम्नवत् सृजित किया जाता है :–

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतनमान
1	सचिव, (बि.प्र.से. के अपर सचिव से अन्यून)	01	वेतन स्तर-13ए
2	प्रशाखा पदाधिकारी बि.स.से.	01	वेतन स्तर -9
3	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बि.स.से.	02	वेतन स्तर -7
4	आशुलिपिक	02	वेतन स्तर -4
	कुल	06	

4. उक्त 06 पदों के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 71,94,600/– (एकहत्तर लाख, चौरानवे हजार, छः सौ रूपये) मात्र है।

5. उक्त सृजित पदों पर होने वाले व्यय का विकलन बिहार युवा आयोग, पटना के लिए सहायक अनुदान मद में कर्णांकित बजट शीर्ष से होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मो. सोहैल)
सरकार के सचिव।

P.T.O.

Swikrityadesh219

ज्ञापांक–21/बि॰यु॰आ॰-03/2025सा॰प्र॰...14320.../पटना, दिनांक...04.8.25...

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना/वित्त विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, बिहार युवा आयोग/प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार युवा आयोग, पटना/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना/आई॰टी॰मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/25

सरकार के सचिव।

ikrityadesh220